



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 221]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 25, 2016/ज्येष्ठ 4, 1938

No. 221]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 25, 2016/JYAISTHA 4, 1938

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2016

फा. सं. 1(94)2015/अधिसूचना पी एंड एल/प्रव./एफ.एस.एस.ए.आई.—खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन विनियम, 2015 का प्रारूप, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 5 जून, 2015 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसके द्वारा उन व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई हों, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 7 जुलाई, 2015 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार किया गया है;

अतः, अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 23 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

विनियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) द्वितीय संशोधन विनियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) के विनियम 2.2 के उपविनियम 2.2.2 में,-

(i) खंड (2) की सारणी में, 'वर्ग' और 'वर्ग नाम' शीर्षों के अधीन, 'खाद्य वनस्पति तेल/खाद्य वनस्पति वसा' प्रविष्टि और उससे संबंधित तत्स्थानी प्रविष्टि के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

वर्ग	वर्ग नाम
"खाद्य वनस्पति तेल	विनिर्दिष्ट खाद्य तेल का नाम दें, जैसे सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, आदि।
खाद्य वनस्पति वसा	वनस्पति वसा की किस्म दें (इंटरस्ट्रीफाइड वनस्पति वसा, हाइड्रोजनीकृत तेल, आंशिक हाइड्रोजनीकृत तेल, खाद्य वनस्पति वसा, मारगरीन और वसा स्प्रेड्स, जैसे मिश्रित वसा स्प्रेड्स, वनस्पति वसा स्प्रेड्स)।";

(ii) खंड 3 के उपखंड (v) के परन्तुक में, मद (iii) और मद (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्,-

"(iii) खाद्य तेल, इंटरस्ट्रीफाइड वनस्पति वसा, हाइड्रोजनीकृत या आंशिक हाइड्रोजनीकृत तेल दोनों, खाद्य वसा, मारगरीन और वसा स्प्रेड्स (मिश्रित वसा स्प्रेड्स और वनस्पति वसा स्प्रेड्स) के प्रत्येक पैकेज तथा खाद्य के ऐसे पैकेज, जिसमें वसा, तेल और वसा पायसों का उपयोग एक संघटक के रूप में किया जाता है, के लेबल पर परा-वसा अंतर्वस्तु और संतृप्त वसा अंतर्वस्तु की मात्रा घोषित की जाएगी।"

3. उक्त विनियमों के विनियम 2.4 के उपविनियम 2.4.2 के खंड 4 के उपखंड (ग) का लोप किया जाएगा।

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./105(187)]

टिप्पण : मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 2-15015//30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधन किए गए थे :

(i) फा. सं.4/15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013;

(ii) फा. सं. पी.15014/1/2011-पी.एफ.ए./एफ.एस.एस.ए.आई., तारीख 27 जून, 2013;

(iii) फा. सं. 1-83एल./एससीआई.पैन-अधि./एफ.एस.एस.ए.आई.-2012, तारीख 17 फरवरी, 2015 और

(iv) सं. 3-16/विनिर्दिष्टए खाद्य/अधिसूचना (खाद्य लेबलिंग)/एफएसएसएआई-2014, तारीख 3 मई, 2016.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2016

F. No. 1(94)2015/Notification P&L/Enf/FSSAI.—Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Amendment Regulations, 2015, were published as required under sub-section (1) of Section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F. No. 4/15015/30/2011, dated the 5th June, 2015 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the

period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 7th July, 2015;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (k) of sub-section (2) of Section 92 read with Section 23 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011, namely:-

REGULATIONS

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Second Amendment Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011,-

(a) in regulation 2.2 relating to 'Labelling', in sub-regulation 2.2.2 relating to 'Labelling of Pre-packaged Foods',-

(i) in clause 2 relating to 'List of Ingredients', in the Table under the first proviso, under the heading 'Classes' for the entry 'Edible vegetable oils/Edible vegetable fat' and the corresponding entry under the heading 'Class Titles', the following shall be substituted, namely:-

Classes	Class Titles
“Edible vegetable oil	Give name of the specific edible oil such as mustard oil, groundnut oil, etc.
Edible vegetable fat	Give type of vegetable fat (interesterified vegetable fat, hydrogenated oils, partially hydrogenated oils, edible vegetable fats, margarine and fat spreads, such as mixed fat spreads, vegetable fat spreads”;

(ii) in clause 3 relating to 'Nutritional information', in sub-clause (v), for items (iii) and (iv) of proviso, the following item shall be substituted, namely,-

“(iii) Every package of edible oils, interesterified vegetable fat, both hydrogenated or partially hydrogenated oils, edible fats, margarine and fat spreads (mixed fat spread and vegetable fat spread) and package of food in which fats, oils and fat emulsions is used as an ingredient shall declare the quantity of trans fat content and saturated fat content on the label.”

(b) in regulation 2.4, sub-regulation 2.4.2 relating to 'Labelling of edible oils and fats', in clause 4, sub-clause (c) shall be omitted.

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./105(187)]

Note. : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification numbers:-

(i) F. No. 4/15015/30/2011, dated the 7th June, 2013;

(ii) F.No. P 15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated the 27th June, 2013;

(iii) F. No. 1-83L/Sci. Pan- Noti/FSSAI-2012, dated the 17th February, 2015 and

(vi) No. 3-16/ Specified Foods/Notification(Food Labelling)/FSSAI-2014, dated the 3rd May, 2016.